

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर 2020 अग्रहायण 7, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2020

क्र. एफ-16-191-2006-1-7-1-स्था.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

## संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 11 में,

(1) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में से 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों तथा 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे।”।

(2) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(5-क) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उन रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पद पुनः विज्ञापित किए जाएंगे।

“(5-ख) सीधी भर्ती के लिए उद्भूत रिक्तियों में से 10% पद मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो, मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, आरक्षित रहेंगे:

परंतु उक्त संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशानुसार आरक्षण के उपबंध लागू होंगे।”।

(3) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:-

“(7) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल पदों का तैतीस प्रतिशत समस्तर रूप में एवं श्रेणी के अनुसार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज) आरक्षित होगा।

(8) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 6 प्रतिशत पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और यह आरक्षण समस्तर (होरिजेन्टल) तथा श्रेणी के अनुसार होगा।”।

2. नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“18 परिवीक्षा :- सेवा में सीधे भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।”

3. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

“अनुसूची-एक  
(नियम-5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतनबैंड+ग्रेड वेतन	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अतिरिक्त सचिव	03	राज्य शासन	प्रथम-श्रेणी	123100-215900	इन पदों को भरे जाने की स्थिति में उप-सचिव, मंत्रालय सेवा के पद उसी संख्या में स्थगित रहेंगे।
2. उप सचिव	14	राज्य शासन	प्रथम-श्रेणी	79900-211700	स्वीकृत पद (जो कक्ष 7(3) के अधीन हैं) की वर्तमान संख्या 62 है। जिनमें से मंत्रालय सेवा के लिए पदों की संख्या 14 है शेष उप सचिव के पद भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा/ अन्य सेवा के हैं। उक्त पदों में 01 पद अन्य सेवा से लिया हुआ सम्मिलित है।

3.अवर सचिव	57	-तदैव-	-तदैव-	67300-206900	अवर सचिव के स्वीकृत / निर्धारित पदों की संख्या 73 हैं जिसमें मंत्रालयीन सेवा के पदों की संख्या (जो पदोन्नति से 49 पद भरे जाते हैं) तथा स्टाफ ऑफिसरों के लिए नामनिर्दिष्ट पदों की संख्या-8 है और शेष पद राज्य प्रशासनिक सेवा / अन्य सेवाओं के लिए हैं।
4. स्टाफ आफिसर	20	-तदैव-	-तदैव-	67300-206900	-
5. लेखा अधिकारी	01	-तदैव-	-तदैव-	56100-177500	-
6.अनुभाग अधिकारी	143	राज्य शासन	द्वितीय श्रेणी	49100-155800	राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा / वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ-8-1-2015 / नियम, दिनांक 07-06-2018
7. निज सचिव	60	सचिव, सा.प्र. विभाग	-तदैव-	49100-155800	-तदैव-
8. ग्रंथपाल	01	-तदैव-	-तदैव-	42700-135100	-
9. शोध विश्लेषक	02	-तदैव-	-तदैव-	42700-135100	-

कर्तव्य पद					
1. सांख्यिकीय सहायक (सहायक सांख्यिकी अधिकारी)	03	सचिव, सा.प्र. विभाग	तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय)	36200-114800	-
2. कम्प्यूटर आपरेटर	02	-तदैव-	-तदैव-	25300-80500	-
3. सहायक अनुभाग अधिकारी	327	-तदैव-	-तदैव-	36200-114800	सा.प्र.विभाग के आदेश दिनांक 20.03.2018 से पदनाम परिवर्तित
4. सहायक ग्रेड-दो	321	-तदैव-	-तदैव-	25300-80500	-
5. सहायक ग्रेड-तीन	584	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	-
6. निज सहायक	75	-तदैव-	-तदैव-	36200-114800	सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.4.13 के अनुसार
7. शीघ्रलेखक	53	-तदैव-	-तदैव-	28700-91300	-तदैव-
8. स्टेनोग्राफिस्ट	84	सचिव, सा.प्र. विभाग	तृतीय-श्रेणी (लिपिकवर्गीय)	19500-62000+ (विशेष वेतन रुपये 125/- प्रतिमाह)	
9. टाईपराईटर मिस्त्री (मैकेनिक)	01	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	

10. सहायक टाईपराईटर मिस्त्री	01	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	
11. मुख्य मानचित्रकार	02	-तदैव-	तृतीय-श्रेणी अलिपिकवर्गीय	32800-103600 विशेष वेतन रूपये 75/-	
12. मानचित्रकार	04	-तदैव-	-तदैव-	32800-103600 विशेष वेतन रूपये 25/-	
13. सहायक मानचित्रकार	03	-तदैव-	-तदैव-	25300-80500	
14. अनुरेखक	04	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	
15. टेलीफोन पर्यवेक्षक	01	-तदैव-	-तदैव-	22100-70000	
16. टेलीफोन आपरेटर	03	-तदैव-	-तदैव-	22100-70000	
17. लिफ्ट पर्यवेक्षक	01	-तदैव-	-तदैव-	22100-70000	
18. लिफ्ट मेन (लिफ्ट परिचारक)	08	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	
19. उप-केन्द्र परिचारक	04	सचिव सा.प्र. विभाग	तृतीय-श्रेणी अलिपिकवर्गीय	25300-80500	
20. जिल्दसाज (बुक वाईण्डर)	02	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	
21. हाउस कीपर	01	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	
22. रोकड़िया सहायक	01	-तदैव-	तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय	19500-62000	
23. डाटा एन्ट्री आपरेटर	08	-तदैव-	-तदैव-	25300-80500	
24. सहायक ग्रंथपाल	01	-तदैव-	-तदैव-	28700-91300	
25. कनिष्ठ विश्लेषक	01	-तदैव-	-तदैव-	28700-91300	
26. स्वागतकर्ता	01	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	
27. फायर इंसपेक्टर	01	-तदैव-	-तदैव-	25300-80500	
28. सहायक	02	-तदैव-	-तदैव-	36200-114800	

प्रोग्रामर					
29. पानाप्रिंट फोटो कॉपियर	01	-तदैव-	-तदैव-	28700-91300	
30. एस ए एस लेखाधिकारी	01	-तदैव-	तृतीय-श्रेणी (अलिपिकवर्गीय)	36200-114800	
31. वाहन चालक	04	-तदैव-	-तदैव-	19500-62000	।।।

No. F-16-191-2006-i-7-1-Estt.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Secretariate Service Recruitment Rules, 1976, namely:-

### AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 11,-

(1) For sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) There shall be reserved 16% posts for Scheduled Castes, 20% posts for Scheduled Tribes and 27% posts for Other Backward Classes candidates amongst available vacant posts for direct recruitment.

In this regard the provision of reservation shall be enforced in accordance with the direction of the State Government issued from time to time”.

(2) For sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5-a) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be advertised again to fill up the reserved vacant posts.

(5-b) There shall be reserved 10% posts for the candidates belonging to EWS of Madhya Pradesh who is not included in ambit of reservation conferred for Scheduled Caste, Scheduled Trube and Other Backward Classes.

Provided that in this regard the provision of reservation shall be enforced in accordance with the direction of the State Government issued from time to time”.

(3) After sub-rule (6), the following sub-rule shall be added, namely :-

“(7) At the stage of direct recruitment 3% post from the total post shall be reserved horizontally and compartment wise for female candidate.

(8) At the stage of direct recruitment 6% post from the total post shall be reserved for horizontally and compartment wise for the disabled person.”.

2. For rule 18, the following rule shall be substituted, namely:-

“**18 Probation.**-Every person, directly recruited in the service shall be appointed on probation for a period of three years.”.

3. In place of existing Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

**“SCHEDULE-I**

(See rule-5)

Classification, Scale of pay and Number of posts included in the Service

Name of the post included in the service	Number of posts	Appointing Authority	Classification	Revised Pay Band +Grade pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Additional Secretary	03	State Government	Class-I	123100-215900	In case these posts are filled the same number of posts of Deputy Secretary



					shall remain postponed.
2. Deputy Secretary	14	State Government	Class-I	79900-211700	The number of sanctioned posts (which are under section 7(3) are 62. Out of which 14 post for mantralaya service and remaining posts of Deputy Secretary are IAS/State Administrative services/other service. 1 post in the above posts are included/taken from other service.
3. Under Secretary	57	---do---	---do---	67300-206900	The number of posts sanctioned /prescribed to Under Secretary are 73 out of which 49 posts of Mantralaya service (which are filled are by promotion) and 8 post are nominated for Staff officers and remaining post for State Administrative service/other services.
4. Staff Officer	20	--do--	--do--	67300-206900	-
5. Account	01	--do--	--do--	56100-	-

Officer		*		177500	
6. Section Officer	143	State Government	Class II	49100-155800	Recommendation of State Pay Commission/Finance Department's order No. F-8-1-2015/R, Dated 07.06.2018
7. Private Secretary	60	Secretary GAD	--do--	49100-155800	--do--
8. Librarian	01	--do--	--do--	42700-135100	-
9. Research Analyst	02	--do--	--do--	42700-135100	-
<b>DUTY POST</b>					
1. Statistical Assistant (Assistant statistical officer)	03	Secretary GAD	Class III (Ministerial)	36200-114800	-
2. Computer Operator	02	--do--	--do--	25300-80500	-
3. Assistant Section Officer	327	--do--	--do--	36200-114800	Designation changed by the GAD order date 20.03.2018
4. Assistant Grade-II	321	--do--	--do--	25300-80500	-
5. Assistant Grade-III	584	--do--	--do--	19500-62000	-
6. Private Assistant	75	--do--	--do--	36200-114800	As per GAD Notification dtd. 18.4.13
7. Stenographer	53	--do--	--do--	28700-91300	--do--
8. Steno typist	84	Secretary GAD	Class-III Ministerial	19500-62000+ (special pay Rs. 125/- Per month)	

9. Type writer Mistri (Machinic)	01	--do--	--do--	19500- 62000	
10. Assistant type writer mistri	01	--do--	--do--	19500- 62000	
11. Head Draftsman	02	--do--	Class-III Non Ministerial	32800- 103600 Rs. 75/- special pay	
12. Draftsman	04	--do--	--do--	32800- 103600 Rs. 25/- special pay	
13. Assistant Draftsman	03	--do--	--do--	25300- 80500	
14. Tracer	04	--do--	--do--	19500- 62000	
15. Telephone Supervisor	01	--do--	--do--	22100- 70000	
16. Telephone Operator	03	--do--	--do--	22100- 70000	
17. Lift Supervisor	01	--do--	--do--	22100- 70000	
18. Lift man	08	--do--	--do--	19500- 62000	
19. Sub- centre Attendant	04	Secretary GAD	Class-III Non Ministerial	25300- 80500	
20. Book winder	02	--do--	--do--	19500- 62000	
21. House Keeper	01	--do--	--do--	19500- 62000	
22. Assistant Cashier	01	--do--	Class-III Ministerial	19500- 62000	
23. Data Entry Operator	08	--do--	--do--	25300- 80500	
24. Assistant Librarian	01	--do--	--do--	28700- 91300	

25. Junior Analyst	01	--do--	--do--	28700-91300	
26. Receptionist	01	--do--	--do--	19500-62000	
27. Fire Inspector	01	--do--	--do--	25300-80500	
28. Assistant Programmer	02	--do--	--do--	36200-114800	
29. Pana print photo copier	01	--do--	--do--	28700-91300	
30. SAS Account Officer	01	--do--	Class-III Non Ministerial	36200-114800	
31. Driver	04	--do--	--do--	19500-62000	..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मधु नाहर, उपसचिव.